

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड,
लो0नि0वि0, बहराइच।

- विषय:- बहराइच-गोण्डा एस0एच0-30 के कि0मी0 40.200 से 64.232 तक मार्ग के सुद्रीकरण मे प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2637 वृक्ष तथा 22260 पौधे के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
- संदर्भ:- मुख्य वनसंरक्षक /नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 2400/11सी0 दिनांक 22.01.2023 एवं वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त गोण्डा का पत्रांक 2383/33-1 दिनांक 20.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयाकित प्रकरण के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी महोदय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन लखनऊ द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त ऑनलाइन व हार्ड कापी में अभिलेखों का अभाव/कमिया पाया गया है। जिसमें गोण्डा वन प्रभाग के सम्बन्धित प्रकरण में बिन्दु सं0-1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, व 13 आपसे सम्बन्धित है। विषयगत प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना व उससे सम्बन्धित अभिलेख 5 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

2520
संख्या- / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

0/c

भवदीय,
प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग,गोण्डा।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग,गोण्डा।